निगरानी / टीए / 4004 / 2006 / जिला टोंक
लड्डूलाल बनाम किशन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19-08-2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री अभिषेक शर्मा, ब्रीफ होल्डर अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उपखंड अधिकारी उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–3–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2023 अनतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 8 गबदू व अप्रार्थी संख्या 14 गोरधन के कायम कुकाम को रिकॉर्ड पर लिया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 3 मु. राजा का नाम तर्क किया जाता है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.14 ने न्यायालय उपखंड अधिकारी उनियारा के समक्ष एक वाद खातेदारी घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निगरानी में अंकित विवादित आराजी के सम्बंध में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर प्रस्तुत वाद निर्णय दिनांक 28–10–04 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे उपखंड अधिकारी उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 6–3–06 द्वारा स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–04 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र समयावधि बाहर प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को विधि के अनुसार नोटिस तामील करवाये गये थे किंतु वे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विपक्षी सं. 3/2 व 3/3 को दावे में नोटिस तामील नहीं होना मानकर स्वीकार किया है। तामील होने के संबंध में जांच नहीं की गई। विपक्षी सं. 3/2 व 3/3 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–04 से प्रभावित पक्षकार नहीं थे। अंतिम डिक्री बनने के पश्चात् अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी चलने योग्य नहीं था। किंतु कानूनी प्रावधानों के विपरीत बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीगण को प्रकरण की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	जानकारी थी तथा वह जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तथा उन्हें विधिवत् तामील कराई गई थी। अप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रावधानों के विपरीत स्वीकार किया है। अतः विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उनके द्वारा क्षेत्राधिकार का ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर आदेश अन्तर्गत निगरानी पारित किया जाना सिद्ध होने से काबिल निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण को विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बाबत पूर्ण जानकारी पूर्व से ही थी, फिर भी असत्य कथनों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो भारी मियाद बाहर होकर निरस्त किया जाना न्यायोचित है। लेकिन विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मियाद बाबत कोई शब्द अंकित किये बिना अपने कानूनी मस्तिष्क को प्रयोग किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखंड अधिकारी उनियारा का आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कहा कि अप्रार्थीगण को बगैर सम्यक् तामिल करवाये डिक्री जारी की गई। जिसे निरस्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण को विधिवत् तामील नहीं करवाई थी। अप्रार्थीगण को प्रकृतिक न्याय के सिद्वांत के अनुसार सुनवाई के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सहायक कलेक्टर ने अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये निर्णय व डिक्री को खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.14 ने न्यायालय उपखंड अधिकारी उनियारा के समक्ष एक वाद खातेदारी घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निगरानी में अंकित विवादित आराजी के सम्बंध में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर प्रस्तुत वाद दिनांक 28–10–04 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे उपखंड अधिकारी उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 6–3–06 द्वारा स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–04 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि संशोधित शीर्षक में प्रतिवादी सं. 3/2 व 3/3 के पिता का नाम प्रभूलाल अंकित है, जबकि पत्रावली में उपलब्ध प्रतिवादीगण के नोटिस में पिता का नाम गोपीलाल दर्ज है। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी किये गये थे जिन पर रिपोर्ट अंकित है कि प्राप्तकर्ता निश्चित अवधि के	

दौरान घर पर नहीं आया है। प्रतिवादीगण को दिनांक 14–2–02 के बाद कोई सम्मन जारी नहीं होना भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण 3/2 व 3/3 को विधिवत् सम्मन तामील नहीं होना मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी आलोच्य आदेश से स्वीकार किया है। हमारे विनम्र मत में किसी भी पक्ष को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सुनवाई के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।

6. विचारण न्यायालय ने युक्तिसंगत कारण अंकित करते हुए अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–04 को निरस्त कर वाद को पुनः नम्बर पर लेने में विधि व तथ्य सम्बंधी किसी प्रकार की कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। निगरानी का क्षेत्र अंत्यत सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई त्रुटि परिलक्षित नही है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत् निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

7. परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य